भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाइल संख्या : 11(2)2011-2012/Admn.IV/ **दिनांक : 24.09.2011**

<u>ग्वार पाठा शिशु पौधे विक्रयार्थ</u>

इस संस्थान के परिसर में बोटेनिकल गार्डन में ग्वार पाठा शिशु पौधे (Aloe vera kids)अनुमानित संख्या 50000 या अधिक बिक्री हेतु उपलब्ध है । इसकी बिक्री हेतु दिनांक 10.10.2011 समय प्रातः11.00 बजे तक मुहर–बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । ग्वार पाठा शिशु पौधों का निरीक्षण, नियम व शर्ते विस्तृत विवरण व अन्य जानकारी हेतु निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर देख सकते हैं अथवा विस्तृत विवरण नियम व शर्तो हेतु इस संस्थान की वेब साइट www.cazri.res.in देखें Contact : 0291–2788789, 2787152, 9414130030.

धरोहर राशि रूपये 5000/– निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (Director, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur) के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft/Bankers Cheque) अथवा नकद में इस संस्थान के रोकडि.या को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्तें निदेशक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

फाइल संख्या : 11(2)2011-2012/Admn.IV/ दिनांक : 24.09.2011

ग्वार पाठा शिशु पौधे विक्रयार्थ

इस संस्थान के परिसर में बोटेनिकल गार्डन में ग्वार पाठा शिशु पौधे (Aloe vera kids)अनुमानित संख्या 50000 या अधिक बिक्री हेतु उपलब्ध है । इसकी बिक्री हेतु दिनांक 10.10.2011 समय प्रातः11.00 बजे तक मुहर–बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदाऍं दिनांक 10.10.2011 समय 11.30 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने खोली जाएगी ।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था इत्यादि निम्नलिखित नियम व शर्तो पर अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं ।
नियम व शर्ते –

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 5000.00 निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर (Director, Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur) के नाम राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा नकद में इस संस्थान के रोकडि.या को जमा करा कर इसकी रसीद निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर निविदा कर्ता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार वसूल किया जाएगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त ग्वारपाठा शिशु पौधों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. निविदा सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के उपर **"ग्वार पाठा शिशु पौधों के लिए निविदा"** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे खोली जाएगी ।
5. सफल या उच्चतम निविदा कर्ता /पार्टी को ग्वार पाठा शिशु पौधों को अधिकतम तीन माह की अवधि में ले जाना होगा यदि वह ग्वार पाठा ले जाने में विफल रहता है अथवा अपर्याप्त मात्रा में ही ग्वार पाठा ले जा पाता है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामग्री ले जाने की अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. प्रत्येक मातृ पौधे को बगैर नुक्सान पहुॅंचाए शिशु पौधों को अलग करना होगा मातृ पौधे के तने एवं जड. को नुक्सान नहीं पहुॅंचना चाहिए । शिशु पौधों को मातृ पौधों से अलग करने का कार्य ठेकेदार को अपने खर्चे पर स्वयं करवाना होगा तथा वह फील्ड से उन्हे उठाकर अपने वाहन अथवा अपने साधन से अपने खर्चे पर ले जाना होगा यह कार्य कार्यालय समय के दौरान कार्य दिवसों में ही करना होगा ।
7. ग्वार पाठे के शिशु पौधों को नुक्सान नहीं पहुॅंचना चाहिए ।
8. निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित दर प्रति शिशु पौधा के हिसाब से कोट करनी होगी ।
9. कुछ शिशु पौधों में परिपक्व पत्तियॉं (matured leaves) होने पर उन्हें शिशु पौधे से अलग किया जाएगा और उन अलग की गयी पत्तियों की अलग से बिक्री की जाएगी जिसके लिए निविदा कर्ता/ठेकेदार को परिपक्व पत्तियों की खरीद हेतु निविदा में अलग से दर कोट करनी होगी । अलग से कटी हुई पत्तियों का तौल संबंधित वैज्ञानिक के अधिकृत तकनीकी अधिकारी/स्टाफ के सामने होगा तथा इसे नोट कराना होगा तथा ग्वार पाठे के तौल के अनुसार स्वीकृत दर के हिसाब से ही भुगतान की राशि संस्थान में जमा करानी होगी तत्पश्चात सफल या उच्चतम निविदाकर्ता/ठेकेदार को शिशु पौधों /तौल की गई ग्वार पाठा (परिपक्व पत्तियॉं) को संस्थान से बाहर ले जाने दिया जाएगा ।
10. इच्छुक पार्टियॉं निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व फील्ड में उपस्थित होकर ग्वार पाठा शिशु पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं ।
11. उच्चतम बोलीदाता को 50000 शिशु पौधों की संख्या को स्वीकृत उच्चतम दर के गुणांक की पूर्ण राशि इस संस्थान में जमा करानी होगी । जिसका 75 प्रतिशत ठेका मिलने के तुरन्त पश्चात तथा 25 प्रतिशत एक सप्ताह की अवधि में करना होगा । जमा करायी गई राशि का समायोजन शिशु पौधों को ले जाने पर समय समय पर कर लिया जाएगा । यदि 50000 ग्वार पाठा शिशु पौधों से अधिक की संख्या में बचे हुए ग्वार पाठा शिशु पौधे ठेकेदार द्वारा ले जाने की दशा में उसे प्रति ग्वार पाठा शिशु पौधा की स्वीकृत दर के हिसाब से संस्थान में अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी । उसके पश्चात ही सामग्री ले जाने की अनुमति होगी ।
12. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
13. ठेका लेने वाले ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य निविदाकर्ता की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
14. निदेशक काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
15. निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है। नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

कृ.पृ.उ

ठेके की अन्य शर्तें एवं नियम

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. ठेका लेने वाले ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 5000/–अमानत राशि नकद या ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना पेन संख्या अवश्य लिखें एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
6. ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुक्सान न पहुँचाए। होने वाले नुक्सान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. कार्यावधि में ठेकेदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का ह्योगा ।
10. उच्चतम बोलीदाता/ठेका लेने वाली पार्टी/ठेकेदार को ठेके की अनुपालना तथा ठेके की स्वीकृत राशि समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर प्रस्तुत करने के बाद ही शिशु ग्वार पाठा संस्थान से ले जाने की अनुमति होगी ।
11. अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार को ठेके की राशि के अलावा सिक्यूरिटी राशि (ठेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करानी होगी जो कि ठेके की समस्त शर्तों की अनुपालना व ठेका अवधि पूरी होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
12. शिशु ग्वार पाठा ले जाने के कार्य में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा अधिकारी को देनी होगी ।
13. ठेकेदार/उच्चतम बोली दाता को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण **अनुसरण/निर्वाह** करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुक्सान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले ठेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक